

राजस्थान सरकार

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 25 (6) / सामान्य पत्रावली / 2013/ 2353      दिनांक : 14/10/21

प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय,  
समस्त।

विषय:- महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्थार्थ पर हुए अनियमित भुगतान के आक्षेपों के नियमितिकरण/कार्योत्तर स्वीकृति/निस्तारण के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय ऑडिट समीक्षा बैठक दिनांक 06.10.2021 में श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्थार्थ के कारण हुए अनियमित भुगतान राशि से संबंधित आक्षेपों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश प्रदान किए गये हैं।

अतः उक्त क्रम में आपके महाविद्यालय के महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्थार्थ लगाये गये कामिकों/अधिकारियों पर हुए निष्फल व्यय के नियमितिकरण/कार्योत्तर स्वीकृति संबंधित अनुच्छेदों का विवरण निर्धारित प्रारूप में (हार्ड +सॉफ्ट कॉपी) सूचना 03 दिवस मे कार्यालय की ई-मेल finance.cceraj@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि आक्षेपों के निस्तारण हेतु आगामी आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाया जा सकें।

संलग्न:- निर्धारित प्रारूप।

  
(हरि सिंह मीना)

वित्तीय सलाहकार  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 25 (6) / सामान्य पत्रावली / 2013/ 2354

दिनांक : 14/10/21

प्रतिलिपि:-

- प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलॉड किय जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
(हरि सिंह मीना)

वित्तीय सलाहकार  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रतिवेदन अवधि	अनुच्छेद संख्या	आक्षेप का पूर्ण विवरण (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी)